

प्रेस नोट 27.03.2021

इटावा पुलिस द्वारा महिलाओं से चैन/ जंजीर लूटने/ छिनैती करने वाले 02 बदमाशों को अवैध असलहा व मादक पदार्थ सहित किया गया गिरफ्तार ।

जनपद में आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में तथा अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना इकदिल पुलिस द्वारा महिलाओं से चैन/ जंजीर लूटने/ छिनैती करने वाले 02 बदमाशों को अवैध असलहा व मादक पदार्थ सहित गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

आगामी पंचायत चुनावों एवं होली के त्यौहार की सुरक्षा व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत दिनांक 26/27.03.2021 की रात्रि को थाना इकदिल पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर संदिग्ध व्यक्ति /वाहन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा था । इसी क्रम में थाना इकदिल पुलिस द्वारा मानिकपुर ग्वालियर बाईपास पर संदिग्ध व्यक्ति /वाहनों की चैकिंग की जा रही थी । चैकिंग के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी की दो मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति अवैध असलहा सहित जमुना पुल की तरफ से मानिकपुर मोड की तरफ आ रहे है ।

सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा ग्वालियर बाईपास पर नाकाबन्दी कर सघनता से चैकिंग की जाने लगी तभी कुछ देर बाद जमुना पुल की तरफ से मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति आते हुए दिखायी दिये जिन्हे पुलिस टीम द्वारा टार्च की रोशनी दिखाकर रोकने का इशारा किया गया । पुलिस को देखकर मोटरसाइकिल सवार दोनों व्यक्ति मोटरसाइकिल को पीछे मोडकर भागने का प्रयास करने लगे । जिन्हे संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस टीम द्वारा आवश्यक बल प्रयोग कर पीछा करते हुए घेरकर पकड लिया गया । पकडे गये व्यक्तियों की तलाशी लेने पर उनके कब्जे से अवैध असलहा एवं मादक पदार्थ बरामद किये गये ।

पुलिस टीम द्वारा पकडे गये व्यक्तियों से अवैध असलहा के सम्बन्ध में पूछताछ करने पर उन्होनें बताया कि हम लोग सुनसान स्थानों एवं रास्तों पर महिलाओं से चैन संचिंग करते है । पुलिस द्वारा पकडे गये व्यक्तियों से कडाई से पूछताछ करने पर उनके द्वारा निम्न घटनाए कारित करना स्वीकार किया गया ।

1. गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा दिनांक 25.02.2021 को वादी अनुज कुमार पुत्र सुभाष सिंह निवासी ग्राम लवारपुरा थाना बकेवर से उसकी माँ के साथ रास्ते में जाते समय ग्राम बीलमपुर के पास चैन लूट/ छिनैती की घटना कारित की गयी थी । जिसके सम्बन्ध में थाना इकदिल पर मु0अ0सं0 50/2021 धारा 392 भादवि अभियोग पंजीकृत किया गया था ।
2. गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा दिनांक 10.03.2021 को वादी गौरव सिंह पुत्र अनिल कुमार वर्मा निवासी विकास कालोनी पक्का बाग थाना इकदिल की माँ के साथ मन्दिर जाते समय पैण्डल लूट/ छिनैती की घटना कारित की गयी थी । जिसके सम्बन्ध में थाना इकदिल पर मु0अ0सं0 74/2021 धारा 392 भादवि अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना मु0अ0सं0 90/21 धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट , मु0अ0सं0 91/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, मु0अ0सं0 92/21 धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट तथा मु0अ0सं0 93/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट अभियोग पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. मोनू उर्फ मयंक पुत्र राजकुमार गौतम निवासी जयभारत कालोनी पक्काबाग फ्रेण्डस कालोनी इटावा
2. कन्नू उर्फ सुमित कश्यप पुत्र सोनू कश्यप निवासी सती मोहल्ला कोतवाली इटावा

बरामदगी:-

1. 01 अदद तमंचा 315 बोर
2. 02 अदद कारतूस 315 नाजायज
3. 01 अदद छुरा नाजायज
4. 220 ग्राम नशील पाउडर
5. 02 अदद चैन पीली धातू के टुकडे
6. 01 अदद मोटरसाइकिल नम्बर यूपी 75 टी 6614

पुलिस टीम:- श्री जीवाराम प्रभारी निरीक्षक थाना इकदिल इटावा ,उ0नि0 अनुभव चौधरी ,उ0नि0 अवधेश कुमार,उ0नि0 दर्शन सिंह ,का0 मयंक शर्मा ,का0 अनिल कुमार

**सोशल मीडिया सेल
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
जनपद इटावा**